भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

अधिवक्ता कल्याण निधि • बार एसोसिएशन, मथुरा • क्र. सं. 1102 ह० सचिव

उत्तर प्रदेश UTTAR PRA

AV 094569

॥ जय श्री कृष्ण ॥

**लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण –**

1. भूमि का प्रकार – आवासीय
2. वार्ड परगना– जिला मथुरा।
3. मौहल्ला/ग्राम – मौजा सुनरख बांगर
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)– प्लाट नम्बर–121 का भाग
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर)– वर्गमीटर
6. विक्रय सम्पत्ति का क्षेत्रफल– 81.87 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ठ के अनुसार)– रास्ता 6 मीटर से कम चौड़ा
8. प्रतिफल की धनराशि 4,92,000/–रूपये, सरकारी रेट– 6000/–रूपये वर्गमीटर जो रेट लिस्ट में पेज नम्बर 42 कोड 0128 पर दर्ज है, मालियत– 4,92,000/–रूपये, देय स्टाम्प– 34,500/– रूपये, क्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय., मथुरा। विकास शुल्क सीमा के अन्दर व नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित है।

मीराशर्मा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 094570

2

{2}

<u>विक्रेता प्रथमपक्ष की संख्या (एक)</u>

1. श्रीमती मीरा शर्मा पत्नी श्री कन्हैयालाल शर्मा निवासी– पटियाला वाली धर्मशाला, वी.आई.पी. रोड़, मदनमोहन घेरा, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा।

<u>क्रेता द्वितीयपक्ष की संख्या (एक)</u>

1. पिंक सिटी प्रोपर्टीज प्रा0लि0 द्वारा दुर्गेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विष्णू प्रसाद अग्रवाल निवासी– लोई बाजार, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा

..........................

मीराशर्मा

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 094571

2

{3}

हमकि श्रीमती मीरा शर्मा पत्नी श्री कन्हैयालाल शर्मा निवासी– पटियाला वाली धर्मशाला, वी. आई.पी. रोड़, मदनमोहन घेरा, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा

.......विक्रेता प्रथमपक्ष

मीराशर्मा

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 094572

2



एवं पिंक सिटी प्रोपर्टीज प्रा0लि0 द्वारा दुर्गेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विष्णू प्रसाद अग्रवाल निवासी– लोई बाजार, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा

........क्रेता द्वितीयपक्ष

पक्षकारगण इस लेखपत्र के हैं।

जो कि एककिता प्लाट जमीन नम्बरी– 121 का भाग पैमाइशी पूरब– 46 फीट, पश्चिम– 42 फीट 6 इंच, उत्तर– 20 फीट, दक्षिण– 19 फीट 10 इंच क्षेत्रफल 81.87 वर्गमीटर जिसकी सीमा यह है–

Durgesh

मीराशर्मा

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 094573

कोषागार मथुरा

1 1 JUN 2018

{5}

पूरब– प्लाट नम्बर–121 का भाग चन्द्रपाल

पश्चिम– प्लाट नम्बर–122 का भाग राधा

उत्तर– सम्पत्ति मगन प्लेस

दक्षिण– रास्ता 15 फीट

स्थित मौजा सुनरख बांगर अन्दरून सरस्वती बिहार कालौनी, तहसील व जिला मथुरा जो खसरा नम्बर 984 में स्थित है। जिसका संलग्न नक्शें में रंग लाल दिखाया है। उक्त प्लाट जमीन की विक्रेता प्रथमपक्ष मालिक है। जो प्रथमपक्ष ने बजरिये बैनामा इकरारी राजू गौतम पुत्र श्री राधारमन गौतम से दिनांक 24.01.2008 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक, मथुरा में बही नम्बर 1 जिल्द ............... के पृष्ठ ................................ में नम्बर 658 पर हुई है, से खरीद किया। और रोज खरीदारी से उक्त प्लाट जमीन प्रथमपक्ष के कब्जा मालिकाना

मीराशर्मा

[signature]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 595159

11 JUN 2014



में है। तथा प्रथमपक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी है। प्लाट उपरोक्त हर प्रकार के झगड़े–झंझट, कर्जे आदि से पाक साफ है। न कोई वाद विवाद है न कोई भार है और न किसी की जमानत में है, गरजे की मिलकीयत पाक साफ, प्रथमपक्ष विक्रेता है। सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के उक्त प्लाट जमीन का अन्य कोई मालिक व हकदार व हिस्सेदार नहीं है। न किसी भी जगह रहन व गिरवी आदि है। न उक्त प्लाट जमीन किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक है। न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है। न ही विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त प्लाट जमीन को बेचने का इकरारनामा किसी के साथ तय कर रखा है। न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो प्रथमपक्ष के हस्तान्तरण आदि करने में किसी प्रकार की कोई बाधा या रूकावट पैदा कर सके। यानि उक्त प्लाट जमीन हर प्रकार के झगडे–झंझट कर्जे आदि से पाक साफ तन्हा प्रथमपक्ष की सम्पत्ति है। तथा प्रथमपक्ष

मीरा शर्मा

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 094574

11 JUN 2014



को उपरोक्त प्लाट के विषय में सम्पूर्ण अधिकार मालिकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि हर प्रकार के प्राप्त हैं। अब वास्ते खर्च खुद विक्रेता प्रथमपक्ष को अपना उक्त प्लाट जमीन बेचना आवश्यक है। और इस समय द्वितीयपक्ष उक्त प्लाट जमीन को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार हैं। इस कीमत में बेच देने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है। चुनांचि उक्त प्लाट जमीन को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हों यानि कुल को बिना छोड़े किसी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के मय राइट्स समस्त अधिकारों सहित

मीराशर्मा

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AF 595298



वखुशी वराजी अपने वएवज 4,92,000/– चार लाख बानवें हजार रूपये जिनके आधे 2,46,000/– दो लाख छियालीस हजार रूपये होते हैं। बदस्त पिंक सिटी प्रोपर्टीज प्रा0लि0 द्वारा दुर्गेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री विष्णू प्रसाद अग्रवाल निवासी– लोई बाजार, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष को बेच दिया और कतई वै कर दिया और कीमत के कुल रूपयों में से 2,46,000/– रूपये बजरिये चैक संख्या 000120 दिनांक 17.06.2014 व 2,46,000/– रूपये बजरिये चैक संख्या 000121 दिनांक 30.07.2014 दोंनो चैक एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त करके कब्जा

मीराशर्मा Durgesh

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 595299



व दखल बेचे गये प्लाट जमीन पर खरीदार का वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया और खरीदार उक्त प्लाट जमीन की पूरी मालिक हो गयी। अब वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावें व निर्माण आदि करें व स्वंय जो चाहें सो करे। अब विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसों का उक्त बेचे गये प्लाट जमीन में कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का कुछ भी शेष नहीं रहा और न आयन्दा भविष्य में होगा, अगर कभी कोई व्यक्ति उक्त बेचे गये प्लाट जमीन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा या झगड़ा उत्पन्न करें और उसके कारण विक्रय प्लाट जमीन का जुज या कुल भाग कब्जा खरीदार से निकल जावें या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या कहीं रहन आदि निकले तो विक्रेता प्रथमपक्ष की हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। खरीदार अपनी कीमत का दिया गया रूपया मय हर्जा–खर्चा व लागत व अदा व खर्च किये गये रूपयों को विक्रेता प्रथमपक्ष व उसकी हर प्रकार की चल–अचल सम्पत्ति से

मीरा शर्मा

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 595995

1 4 JUN 2014



बाजाव्ता बजरिये अदालत मय सूद के वसूल कर ले इसमें विक्रेता प्रथमपक्ष व वारिसान विक्रेता प्रथमपक्ष को किसी भी प्रकार का कुछ भी उज्र न होगा। बेचे गये प्लाट जमीन पर कोई टैक्स नहीं है। बेचा गया प्लाट खाली है। तथा कोई तामीरात नहीं है। तथा मुझ दुर्गेश कुमार अग्रवाल को कम्पनी मीटिंग दिनांक 08.06.2014 के द्वारा प्रस्ताव पास कर उक्त प्लाट जमीन की रजिस्ट्री आदि कराने के लिये अधिकृत किया गया है। अतः यह बैनामा अपनी राजी व खुशी से दोनो पक्षों ने पढ़कर व सुनकर व समझकर लिख दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे। उक्त प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार गवाहो के समक्ष पढ़ाकर व सुनाकर ड्राफ्ट व टाइप किया गया है। तथा गवाहान व खरीदार की शिनाख्त के आधार पर फोटो प्रमाणित किये गये हैं। तथा

मीरा शर्मा

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 606692

{11}

क्रेता–विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराया गया प्लाट का फोटो इस प्रलेख पर चस्पा किया गया है। तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के पहचान पत्र प्रलेख के साथ संलग्न है।

नोट– उक्त चैको का भुगतान विक्रेता को प्राप्त न होने की दशा में यह प्रलेख स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

मीराशर्मा

दिनांक – 17.06.2014ई0
कम्प्यूटराइज्ड किया– आर0के0
ड्राफ्ट किया– गोबिन्द प्रसाद शर्मा एडवोकेट, मथुरा।

साक्षी ①
[illegible] सिंह S/o स्व. गोपालसिंह
निवासी – [illegible] वृन्दावन [illegible]

साक्षी ②
कन्हैयालाल शर्मा
S/o श्री [illegible] शर्मा
निवासी – [illegible]
[illegible]

Scanned by CamScanner

17/6/2014

क्रम 12/8 17 ......कीमत 500

नाम........ ..........

स्टाम्प ... मथुरा

लाईसेन्स ... 2011 / 2012

आज दिनांक **17/06/2014** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **6529**

पृष्ठ सं. **95** से **118** पर कमांक **8474**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

( कंचन मिश्रा )

उप निबन्धक (द्वितीय )

मथुरा

17/6/2014

Scanned by CamScanner

नजरिया प्लाट नं० 121 का भाग स्थित मौजा सुनरख बांगर (सरस्वती विहार कालोनी) तहसील व जिला मथुरा जो खसरा नं० 984 में स्थित है।
विक्रेता - श्रीमती मीरा शर्मा w/o श्री कन्हैया लाल शर्मा

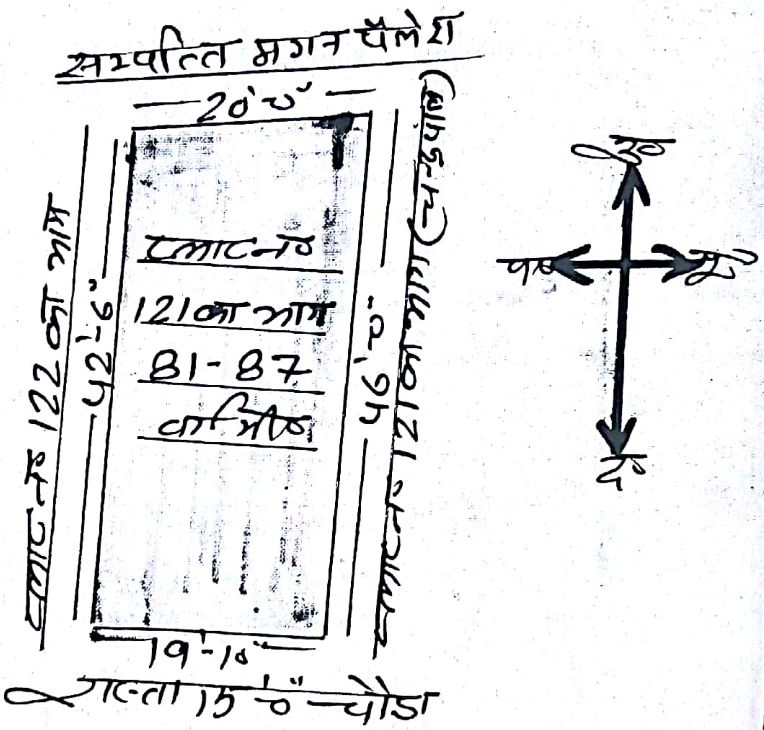


मीरा शर्मा